

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या- 28/2018/1489/अट्ठासी-18-07औ0/18

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2018

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 को प्रख्यापित किया जाता है।

2- 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018' इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

हिमांशु कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2018/1489(1)/अट्ठासी-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- समस्त अं पर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- स्थानिक आयुक्त, 30प्र0, नई दिल्ली।
- 4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति का प्रकाशन असाधारण गजट के हिन्दी तथा अंग्रेजी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में दिनांक 08.06.2018 की तिथि में करने तथा इसकी मुद्रित 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से



(हिमांशु कुमार)


प्रमुख सचिव।

## उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018

### 1. परिचय

उच्च जनसांख्यिकीय लाभ से युक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पिछले 3 वर्षों (2014-15 से 2016-17 तक) के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 7 प्रतिशत के साथ भारत ने दुनिया में अग्रणी बना रखा है। विनिर्माण क्षेत्र इस आर्थिक प्रगति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। प्रमुख आधार पर जो भारत को वैश्विक मान्यता का विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग सुदृढ़ एवं उन्नतशील उद्योग हैं एवं मूल्य के मामले में भारतीय फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जिसका मूल्य की दृष्टि से वैश्विक दवा उद्योग के लगभग 3 प्रतिशत और परिक्षेत्र के सन्दर्भ में 10 प्रतिशत का अंश है। वर्ष 2015-16 में उद्योग का वार्षिक कारोबार 2,04,627.15 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस उद्योग ने प्रगति की है।



स्रोत:-वार्षिक योजना (2016-17, फार्मास्युटिकल्स विभाग, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय)

*Munna*

वर्ष 2020 तक भारत विश्व स्तर पर छठवीं सबसे बड़ा बाजार होने की संभावना है। भारतीय फार्मास्युटिकल सेक्टर काफी हद तक निर्यात से बढ़ रहा है तथा भारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। 2015-16 में, भारत में ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स और फाइन केमिकल्स का निर्यात 1,09,770 करोड़ रुपये का था। भारत विश्व में 220 से अधिक देशों की दवाओं का निर्यात करता है।

Pharmaceutical Exports from India Category wise (INR Cr)		
Category	FY-15	FY-16
Ayush	769.99	706.94
Bulk Drugs & Drug Intermediates	23,169	23,302.8
Drug Formulations & Biologicals	72,892.04	82,192
Herbal Products	1,536.65	1,618
Surgicals	1,946.15	1,950
<b>Total</b>	<b>1,00,313.83</b>	<b>1,09,769.74</b>
<i>Source : India Bulk Manufacturing Association of India</i>		

जेनेरिक बाजार में, भारत वैश्विक जेनेरिक के 20 प्रतिशत निर्यात के साथ विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। वर्ष 2020 तक भारतीय चिकित्सा उपकरण का बाजार 53,300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। भारत विश्व के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से भारत एक है और एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है।

ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित (ऑटोमेटिक) रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा ब्राउनफील्ड फार्मा प्रोजेक्ट्स के लिए स्वतः रूट के माध्यम से 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के पश्चात् फार्मास्युटिकल उद्योग निवेश के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र बन गया है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त कर रहा है। इस क्षेत्र में अप्रैल 2000 में जून 2017 के मध्य 77,631 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है, जो भारत में आने वाले कुल एफडीआई का 4 प्रतिशत था।

प्रमुख विदेशी निवेशकों में जॉनसन एण्ड जॉनसन, पी एण्ड जी, निप्रो और औत्सुका सम्मिलित है।

देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और सुलभ श्रम की उपलब्धता के कारण भारत दुनिया में दवाओं और फार्मास्युटिकल्स का लागत की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावी निर्माता है। देश में विभिन्न प्रकार के दवा उत्पादों का उत्पादन होता है तथा स्वास्थ्य सेवा बाजार यहां तेजी से विस्तार कर रहा है।

भारत सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति (आईईईपी) 2017 घोषित की है, जिससे राज्य में औद्योगीकरण में गतिशील प्रगति तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की आशा है। राज्य सरकार प्रदेश में एवं फार्मास्युटिकल सेक्टर को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस क्षेत्र में राज्य की अधिकतम क्षमता के दोहन लिए एक आशाजनक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

## 2. उत्तर प्रदेश के लाभ (एडवांटेज उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। सभी भारतीय राज्यों में उच्चतम जनसंख्या के साथ, उत्तर प्रदेश में फार्मास्युटिकल्स का सबसे बड़ा बाजार बनने की क्षमता है। मध्यम वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के साथ अधिकतर लोग आपकी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए वृहद स्तर पर मांग पैदा होती है। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), स्वास्थ्य इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तथा उपकेन्द्रों वाली एक 3-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 262 प्रधान मंत्री भारतीय परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पांच विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) राज्यों में से एक है तथा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम देश की उद्यमों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। राज्य से निर्यात पिछले पांच सालों (2012-17) में 13.26 प्रतिशत सीएजीआर) दर्ज वार्षिक वृद्धि पर की गयी है। कच्चे माल तथा कुशल, अकुशल श्रमिकों की सुलभता के फलस्वरूप प्रदेश का वातावरण उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिससे फार्मास्युटिकल क्षेत्र का निर्वाह विकास सम्भव है।

### 2.1 पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना

#### 2.1.1 कच्चे माल का आधार तथा औद्योगिक विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की दृष्टि से उ.प्र. देश में दूसरे स्थान पर है तथा राज्य में पारस्परिक एवं औषधीय कच्चे माल का यथेष्ट आधार है। राज्य में करीब 450 फार्मास्युटिकल इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकतर फार्म्युलेशन में संलग्न हैं तथा ज्यादातर इकाइयां राज्य के पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, जीबीनगर और लखनऊ, कानपुर में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश से फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात (रु० करोड़ में)	
2015-16	363.42
2016-17	519.23
स्रोत : निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	

### उत्तर प्रदेश से औषधि उत्पादों का निर्यात

वर्ष 2014-15 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ परिमाण की दृष्टि से उ.प्र. का राष्ट्रीय बिक्री बाजार का लगभग 17 प्रतिशत अंश है। उ.प्र. में लगभग 76000 फार्मासिस्ट और 71,000 खुदरा फार्मसी हैं। राज्य में औद्योगिक दृश्य उत्साहजनक है तथा सेक्टर में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

### 2.1.2 श्रम तथा सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास आधार की उपलब्धता

राज्य में कुशल और अकुशल जनशक्ति का भंडार है तथा यहां प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान और औषधि विभाग है। उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में एम फार्मा डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री) प्रदान करने वाले 64 महाविद्यालय और बी. फार्मा की (स्नातक) डिग्री प्रदान करने वाले 100 महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, जैसे :-

- सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आई.आई.टी.आर.) लखनऊ
- केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ
- इण्डियन फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद
- राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

- जैविक विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग आईआईटी, कानपुर
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग एमएनएमआईटी, इलाहाबाद
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आई.आई.टी. बीएचयू)

### 2.1.3 उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाएं (कनेक्टिविटी एडवांटेज)

जैसा कि अवगत है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग निर्यातोन्मुखी हैं, उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

#### स्थान का लाभ (लोकेशन एडवांटेज)

- स्वर्ण चतुर्भुज पर स्थित
- उच्च कोटि का सड़क नेटवर्क
- राष्ट्रीय राजधानी तक आसान पहुँच
- पूर्वी भारत के बाजार एवं संसाधनों तक गहरी पहुँच
- 8949 कि०मी० तक फैला वृहत् रेल नेटवर्क

#### कनेक्टिविटी

- देश के अन्य भाग, मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख हवाई अड्डे
- जेवर एवं कुशीनगर में प्रस्तावित दो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
- इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एन०डब्ल्यू०-1

#### इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर

- 8.5 प्रतिशत डी०एम०आई०सी० जलग्रहण क्षेत्र एवं 57 प्रतिशत ए०के०आई०सी० उत्तर प्रदेश में स्थित
- ग्रेटर नोएडा में डब्ल्यू०डी०एफ०सी० एवं ई०डी०एफ०सी०
- मल्टीमोडल लाजिस्टिक हब्स, औद्योगिक पार्क से पोर्ट तक पहुँचने के लिए यात्रा अवधि में कमी

#### लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाएं

- विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाएं – मुरादाबाद रेलवे से जुड़ा हुआ घरेलू एवं एग्जिम टर्मिनल एवं कानपुर में रेलवे से जुड़ा हुआ निजी फ्रेट टर्मिनल एवं अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो/दादरी टर्मिनल-आई.सी.डी./कानपुर आई.सी.डी.

- नोएडा, बोझाकी एवं वाराणसी में तीन मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स/ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित

## 2.2 उत्तर प्रदेश में अवसर—

- जेनेरिक दवाओं के साथ-साथ बल्क ड्रग एवं फार्म्यूलेशन का विनिर्माण
- अनुसंधान एवं विकास
  - औषधि विश्लेषण तकनीक
  - अनुबंध अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवाएं (सी.आर.ए.एम.एस.)
  - बायोलॉजिक्स एण्ड बायोसिमिलर
  - आयुष एवं फाइटोमेडिसिन्स
- वितरण— 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व के साथ उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सभी प्रकार की दवाओं के वितरण के लिए एक वितरण तंत्र के विकास के लिए विशाल सम्भावनाएं।
- चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण— नये अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की स्थापना तथा वर्तमान सुविधाओं के पुनरुद्धार हेतु आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में सम्भावनाएं।

## नीति के विषय में

राज्य, निवेश के अनुकूल सुधारवादी नीति दृष्टिकोण के साथ एक शीर्ष औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह नीति राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की दृष्टि और उद्देश्यों को आगे ले जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिये आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

नीति का उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और व्यवसायीकरण की दक्षताओं का निर्माण करता है, साथ ही गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये प्रमुख संस्थानों के ज्ञान एवं कुशल जनशक्ति का उपयोग करके सतत रूप से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाना है।

## 3.1 उद्देश्य

- सर्वोत्तम अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीक से युक्त विशिष्ट फार्मास्युटिकल पार्को की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- अत्याधुनिक औषधि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा राज्य के विकास में योगदान करने के लिये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना।
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिक धनराशि का योगदान देना।
- अनुसंधान एवं विकास तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) उत्पादों के प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।

### 3.2 नीति की अवधि

- यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी।
- किसी भी समय यदि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में किसी प्रकार से संशोधन या नीति के अधिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन या अधिक्रमण को अनुमोदित करने के लिये केवल मा. मंत्रि-परिषद ही अधिकृत होगा।
- यदि इस नीति में कोई भी संशोधन किया जाता है अथवा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई भी संशोधन किया जाता है तो भी राज्य सरकार द्वारा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा और ऐसी इकाई पूर्व स्वीकृत लाभ की हकदार बनी रहेगी।

### 3.3 परिभाषाएं

1. एमएसएमई इकाईयां – भारत सरकार के एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुमोदित पूंजीगत निवेश वाली परियोजनाएं।
2. वृहद् इकाईयां – एमएसएमई इकाईयों से अधिक किन्तु रू. 100 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।
3. मेगा इकाईयां – रू. 100 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाएं।
4. क्षैतिज फार्मा पार्क – न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित निजी पार्क, जिसमें न्यूनतम 05 इकाईयां हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयां व्यवसायियों को आविष्ट कर दिया गया हो।



5. ऊर्ध्वाधर फार्मा पार्क – न्यूनतम 3 एकड़ भूमि पर टॉवर या टावरों के समूह की तरह विकसित निजी पार्क जिसमें न्यूनतम 3 इकाईयाँ हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयाँ व्यवसायियों को आविष्ट कर दिया गया हो।

#### 4. नीति की रूपरेखा (पालिसी फ्रेमवर्क)

##### 4.1 अवस्थापना सुविधाओं का विकास

4.1.1 फार्मा पार्क विकास – उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना तथा विकास के लिये उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे एवं अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी। नीति के अन्तर्गत एलोपैथी, आयुष और होम्योपैथी उत्पादों के निर्माण के लिये और चिकित्सा यंत्रों व उपकरणों के लिये भूमि खण्डों को चिन्हित कर पार्कों को विकसित किया जायेगा।

ये पार्क उपयोग के लिये तैयार बुनियादी सुविधाएं जैसे— सार्वजनिक/सहाधिकार (Common) परीक्षण प्रयोगशालाएं नैदानिक केन्द्रों, विद्युत उपकेन्द्र, शीत भंडारण सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों, उत्प्रवाह अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वाक टू वर्क की अवधारणा पर विकसित की गयी अन्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किये जायेंगे। राज्य सरकार डेवलेपर्स को गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं यथा एपीआई फॉर्म्यूलेशन प्रयोगशाला बनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी जो कि गुणवत्ता परीक्षण के लिये आवश्यक है और भारत की गुणवत्ता परिषद के मानदंडों को प्रोत्साहित करेगा। राज्य में (क्वालिटी कौंसिल ऑफ इण्डिया) द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जायेगा।

4.1.2 मेगा परियोजनाओं एवं लघु, मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन (एसएमई)— सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैश्विक मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धा योग्य बड़े विनिर्माण केन्द्र विकसित करने पर बल दिया जायेगा। मेगा परियोजनाएं डाउनस्ट्रीम और एसएमई इकाईयों के लिये सहायक होती हैं तथा रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करती हैं, इसलिये नीति, विशेष प्रोत्साहनों और रियायतों के माध्यम से मेगा परियोजनाओं को तो आकर्षित करेगी ही साथ ही एसएमई को भी प्रोत्साहित करेगी। नीति में एसएमई इकाईयों के लिये प्रोत्साहनों और रियायतों के विशेष पैकेज हैं।

##### 4.1.3 सहायक अवस्थापना सुविधाएं

ए— एपीआई/फॉर्म्यूलेशन प्रयोगशाला – एपीआई एवं फार्म्यूलेशन का गुणवत्ता आश्वासन फार्मास्युटिकल उद्योग के मेरूदण्ड हैं। ऐसी प्रयोगशालाएं लॉजिस्टिक्स एवं आधारभूत सुविधा के सन्दर्भ में चुनौतियों का समाधान करती हैं। सरकार क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया

तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से कॉमन टेस्टिंग लैबोरेटरीज की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार की सुविधा से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।

**बी- शीतगृह सुविधाएं-** राज्य सरकार तापमान के प्रति संवेदनशील औषधियों के परिवहन के लिए तापमान नियंत्रित वेयरहाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के अंतर्गत कॉमन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

**4.2 आयुष (Ayush) और फाइटोमेडीसिन को प्रोत्साहन-** स्वदेशी औषधियों को बढ़ावा देने के लिये आयुष के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में वरीयता दी जाएगी। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु विशेष विपणन प्रोत्साहनों एवं आयुष स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के निर्माण करने वाली इकाइयों को पेटेंट दाखिल करने और प्रमाणन के लिये इकाइयों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार वैकल्पिक औषधियों को प्रोत्साहित करने के लिये फाइटोमेडिसिन को बढ़ावा देगी तथा इन उत्पादों के लिये बाजार को विकसित करने हेतु शोध एवं उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

### 4.3 अनुसंधान एवं विकास

**4.3.1 फार्मास्युटिकल सेक्टर की प्रगति अनुसंधान एवं विकास पर निर्भर करती है।** उदयीमान वैश्विक रुझानों के अनुसार प्रगति करने के लिये फार्मा सेक्टर के निरंतर विकास हेतु नवाचार होना चाहिये। इस क्षेत्र में विश्व के अनेक प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्र तथा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा क्षेत्र में नवाचार की क्षमता रखते हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अनुसंधान एवं विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा सेक्टर में लागत क्षमता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के विद्यमान शिक्षा संस्थानों और फार्मा कम्पनियों के माध्यम से अनुसंधान के प्रस्तावों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। नीति का उद्देश्य इस संदर्भ में एक मजबूत उद्योग अंतरफलक (Interface) का सृजन करना है। अनुसंधान परियोजनाओं उद्योग और संस्थानों के साथ मिलकर किये गये नैदानिक परीक्षण परियोजनाओं को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही यह नीति पेटेंट प्राप्त करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायता करेगी।

**4.4 नवाचार एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन-** राज्य सरकार नवाचारों को फार्मास्युटिकल सेक्टर में नए उद्यमों के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। फार्मास्युटिकल सेक्टर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत स्थापित स्टार्ट-अप फंड का उपयोग किया जायेगा। शैक्षिक संस्थानों मेडिकल कॉलेजों एवं

विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत फार्मा सेक्टर में अपने व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने के लिए की सहायता हेतु प्राविधान किया गया है।

#### 4.5 पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन

**4.5.1 अनुकूल कारोबारी पर्यावरण** – इस क्षेत्र में उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास करेगी। यह नीति न केवल फार्मा सेक्टर में व्यवसाय स्थापना हेतु प्रोत्साहित करेगी, अपितु राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत उल्लिखित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल भी सुनिश्चित करेगी।

**4.5.2 सरलीकृत प्रक्रियाएं**– फार्मास्युटिकल क्षेत्र ज्ञान-आधारित है, अतएव राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाने के लिए, नीति फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। नीति उच्च गुणवत्ता मानकों एवं आधुनिक परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है।

**4.5.3 पारिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण**–चूंकि फार्मा उद्योग अपशिष्ट एवं उत्प्रवाह का उत्पादन करता है, इसलिए इस नीति का उद्देश्य फार्मा सेक्टर को उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देना है। फार्मा उद्योग में अपशिष्ट उपचार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

**5- निजी फार्मास्युटिकल पार्क**–उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्रों में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगी। फार्मा पार्क की स्थापना के लिए इस नीति के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, गोरखपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद जनपदों को विशेष रूप चिन्हित किया जायेगा। इन पार्कों में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की सुविधा होगी, जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगी अतः इन पार्कों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

- विनिर्माण क्षेत्र
- परीक्षण क्षेत्र
- शीत गृह एवं भण्डारण (वेयर हाउसिंग)
- सार्वजनिक सुविधा केन्द्र, छात्रावास हेतु क्षेत्र
- अन्य सुविधाएं, जैसे-स्टैंडअलोन, विद्युत उप केन्द्र, सीवेज उपचार संयंत्र इत्यादि

परिभाषित क्षैतिज फार्मा पार्क एवं वर्टिकल फार्मा पार्क के विकासकर्ता राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 (UPIEPP-2017) के अंतर्गत प्राविधानित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे –

5.1 जमीन खरीदने के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति वर्ष प्रति फार्मा पार्क की सीमा के अधीन 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी।

5.2 फार्मा पार्क की बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसे स्वउपयोग वाली सड़कों, पावर फीडर, जल निकासी इत्यादि जैसे अवस्थापना सुविधा के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 साल के लिये प्रति वर्ष रू0 10 करोड़, नीति के अवधि में प्रति फार्मा पार्क अधिकतम रू. 50 करोड़ की सीमा के अधीन।

5.3 औद्योगिक पार्कों, सम्पदाओं में श्रमिकों के लिये छात्रावास, शयनगृह, आवास के निर्माण के लिये ली गई ऋण पर वार्षिक ब्याज की दर पर 60 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जो प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के अधीन, नीति के अवधि में अधिकतम 30 करोड़ प्रति फार्मा पार्क।

5.4 फार्मा पार्क डेवलपर द्वारा जमीन की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट और व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा प्लॉट की खरीद पर प्रथम बार स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट।

#### 6. फार्मास्युटिकल इकाइयों को प्रोत्साहन—

फार्मास्युटिकल सेक्टर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार रियायतें, सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत पात्र नए फार्मास्युटिकल इकाइयों को निम्नवत प्रोत्साहित किया जाएगा—

6.1 पूंजीगत ब्याज सब्सिडी—संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, अधिकतम रू0 50 लाख प्रति यूनिट प्रतिवर्ष।

6.2 अवस्थापना ब्याज सब्सिडी— राज्य में फार्मा सेक्टर में यूनिट्स की स्थापना, सीवेज और पानी, जल निकासी, बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर और बिजली फीडर का निर्माण जैसे स्व-उपयोग के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज की रकम का 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 1 करोड़।

6.3 औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी— औद्योगिक अनुसंधान हेतु 5 वर्ष के लिये प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता

- सुधार और उत्पादों के विकास के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरणों हेतु, लिये गये ऋण की ब्याज पर 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 1 करोड़।
- 6.4 विद्युत कर में छूट – सभी नई इकाइयों के लिये 10 वर्ष के लिये विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। सभी नई इकाइयों को, जो स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत उत्पादन करेंगी, विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी
- 6.5 स्टाम्प ड्यूटी में छूट – सभी नई इकाइयों के लिये 100 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी में छूट।
- 6.6 एसजीएसटी प्रतिपूर्ति— फार्मा सेक्टर में एमएसएमई यूनिट को 05 वर्ष के लिए 90 प्रतिशत, बड़ी इकाइयों को 05 वर्ष के लिये 60 प्रतिशत तथा मेगा इकाइयों को 10 वर्ष के लिए 70 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा वास्तविक जमा कर, जो भी कम हो, होगा। अधिकतम सीमा अचल पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत के अधीन।
- 6.7 मण्डी शुल्क में छूट— उत्तर प्रदेश आईआईपीपी, 2017 के सामान सभी नई फार्मा इकाइयों को कच्चेमाल की खरीद पर 05 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।
7. पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी— चूँकि फार्मास्युटिकल उद्योग प्रदूषणकारी और रासायनिक अपशिष्ट गहन है, इसलिये फार्मा इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण अपनाने के लिये प्रेरित करना महत्वपूर्ण है।
- 7.1 सामान्य प्रयोजन ईटीपी की स्थापना – फार्मा पार्क, क्लस्टर में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, शून्य प्रवाह, अपशिष्ट जल निर्वहन सुविधाओं को अपनाने हेतु डेवलपर द्वारा लिये गये ऋण पर, अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के अन्तर्गत 05 वर्ष तक वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू0 2 करोड़ की प्रतिपूर्ति दिया जायेगा।
- 7.2 शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन— नई व्यक्तिगत फार्मा इकाइयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक— वाटर रीसाइक्लिंग, हार्वेस्टिंग और शून्य उत्प्रवाह तकनीक अपनाने हेतु, लिये गये ऋण के ब्याज पर पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के रूप में 05 वर्ष तक 50 प्रतिशत वार्षिक प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 10 लाख।
- पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी।

## 8. अनुसंधान एवं विकास सहायता—

8.1 अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहन—निर्धारित क्षेत्रों के लिये बायोटेक और फार्मा सेक्टर की नई आर एंड संस्थानों की स्थापना के लिये, भूमि और भवन लागत को छोड़कर ली गयी ऋण के ब्याज पर 60 प्रतिशत तक पूंजीगत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के अधिकतम 50 लाख रुपये की सीमा के अधीन।

8.2 नैदानिकी परीक्षण— प्रदेश में स्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा प्रति नैदानिक परीक्षण पर किये गये कुल खर्च का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति।

8.3 संविदीय/प्रायोजित अनुसंधान कार्य हेतु सहायता— किसी फार्मा औद्योगिक इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित यूजीसी/सरकारी/एआईसीटीई से मान्यात प्राप्त संस्थान/विश्व विद्यालय/कालेज को बायोटेक्नोलॉजी एवं फार्मास्युटिकल अनुसंधान परियोजना प्रदान करने पर परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, सब्सिडी दी जायेगी; पॉलिस की अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति परियोजना।

## 9. पेटेंट फाइलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन:

9.1 पेटेंट फाइलिंग शुल्क— पेटेंट प्राप्त प्रकरणों में घरेलू पेटेंट के लिए पेटेंट फाइलिंग वास्तविक व्यय का 100 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इकाईयों को पेटेंट फाइलिंग व्यय का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

9.2 गुणवत्ता प्रमाणन — इस नीति के तहत योग्य इकाईयों को आईएसओ प्रमाणीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष में आईएसओ प्रमाणीकरण व्यय का 75 प्रतिशत; अधिकतम रू0 75 हजार प्रति इकाई तथा बीआईएसओ प्रमाणीकरण व्यय का 50 प्रतिशत; अधिकतम रू0 20 हजार प्रति यूनिट प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इकाईयों को प्रमाणीकरण व्यय का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

## 10. नवाचार एवं स्टार्टअप—

फार्मास्युटिकल इनक्यूबेटर्स — सरकार द्वारा सरकारी फार्मसी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर स्थापित किया जायेगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भी इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। ये इनक्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और प्रारम्भ-नीति 2017 के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

10.1 पूँजी अनुदान-इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए सरकारी होस्ट हो 75 प्रतिशत तथा अन्य होस्ट को 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति दी जायेगी।

10.2 लीज/रेंटल स्पेस पर छूट - इन्क्यूबेटर द्वारा प्रयुक्त स्थान हेतु लीज/रेंटल व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 10 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक के लिए प्रदान की जायेगी।

10.3 कार्यालय एवं भूमि के विक्रय/लीज/स्थानान्तरण के प्रथम ट्रांजैक्शन पर स्टॉम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट।

10.4 विद्युत कर में 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

10.5 मेन्टरशिप सहायता- पॉलिसी अवधि के अंतर्गत एक बार प्रत्येक मेन्टर को कोचिंग, मार्गदर्शन, यात्रा, अस्थायी आवास आदि पर प्रति मेन्टर रू0 02 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी।

#### 11. विपणन सहायता-

11.1 एमएसएमई इकाईयां - फार्मा सेक्टर की एमएसएमई इकाईयाँ अंतर्राष्ट्रीय/प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत; अधिकतम रू0 5 लाख, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर, प्रति इकाई व्यय प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा।

11.2 आयुष तथा फाईटोफार्मासिडिसिन- आयुष एवं फाईटोमेडिसिन का निर्माण करने वाली इकाईयाँ को एक वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 75 प्रतिशत, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर; अधिकतम 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला प्रतिपूर्ति तथा स्वदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर; अधिकतम 2 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला प्रतिपूर्ति दी जायेगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा।

#### नोट:-

(क) प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन, फार्मा सेक्टर में एमएसएमई/बड़ी इकाईयां द्वारा किए गए स्थिर पूँजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत के अधीन होंगे।

(ख) प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन फार्मा सेक्टर में मेगा इकाईयाँ द्वारा किए गए स्थिर पूँजी निवेश के अधिकतम 200 प्रतिशत के अधीन होंगे।

## 12. व्यवसाय की आसानी (ईओडीबी)

राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन (आईआईईपी) नीति-2017 की दृष्टि और मिशन को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति भी व्यवसाय की आसानी सुनिश्चित करती है और राज्य में अनुकूल व्यवसायिक परिवेश सुनिश्चित करती है।

12.1 एकल खिड़की – इकाईयों को आवश्यक सभी अनुमोदनों को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियंत्रित एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।

12.2 समयबद्ध स्वीकृतियों– त्वरित एवं समयबद्ध स्वीकृतियों प्रदान करना इस नीति की प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति, सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदन, परमिट आदि का ससमय प्रतिपादन अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

## 13. नीति का कार्यान्वयन

इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

13.1 उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। सेल में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों एवं फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। नियामक समितियों और अन्य लोगों द्वारा संदर्भित प्रकरण समय-समय पर सेल द्वारा विचार किए जाएंगे। यू.पी. फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल निम्नलिखित उद्देश्य के साथ कार्य करेगा –

- राज्य में फार्मास्युटिकल और जैव-प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देने, समर्थन और सुविधा प्रदान करना।
- बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास की सुविधा प्रदान करना।
- फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाना।
- डाटा बैंक और संसाधन केंद्रों के विकास की सुविधा के लिए।




- वैज्ञानिक जागरूकता, सामाजिक नैतिक स्वीकृति अपनाने और औषधि और जैव प्रौद्योगिकी के आवेदन के निर्माण की सुविधा के लिए।

**13.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी। पीआईयू यूपी फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल के सामंजस्य से इस नीति के तहत परिभाषित इकाइयों के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत का निवारण प्रदान करेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भी नोडल अधिकारी सम्मिलित होंगे।

**13.3 प्राधिकृत समिति** – मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति यूपी. फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, समिति के समन्वयक सचिव होंगे। उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।

नोट – फार्मा इकाइयां जोकि किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत लाभ/सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं वह भी इस नीति के अन्तर्गत सुविधायें/लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी बशर्ते इकाइयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत उपभोग न किया गया हो।




# Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2018

## 1. Introduction

Indian economy is looked upon as one of the world's fastest growing large economies reaping high demographic dividend. It continues to be a bright spot in the world with an average GDP growth rate of 7% for last three years (2014-15 to 2016-17). The Manufacturing sector forms the base of this economic growth and India poises to be a manufacturing hub of global recognition.

The Pharmaceutical Industry in India is robust and thriving. The Indian pharmaceutical market is the third largest in terms of volume and thirteen largest in terms of value. It is the second largest market in Asia for pharmaceuticals and accounts for nearly 3% of the global pharmaceutical industry in value terms and 10% in volume. The annual turnover of the Industry in 2015-16 was INR 2,04,627.15 Cr. The industry has witnessed a robust growth, registering a growth of 29% in FY 2015-16.



Source: Annual Plan (2016-17), Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers

By 2020 India is expected to be 6<sup>th</sup> largest market globally. The Indian Pharmaceutical sector is largely fuelled by exports and is the 3<sup>rd</sup> largest foreign exchange earner for India. In 2015-16, the exports of Drugs, Pharmaceuticals and Fine Chemicals amounted to INR 1,09,770 Cr in India. India exports medicines to nearly more than 220 nations across the globe.

Pharmaceutical Exports from India		
Category wise (INR Cr)		
Category	FY-15	FY-16
Ayush	769.99	706.94
Bulk Drugs & Drug	23,169	23,302.8

*M. S. Swaminathan*

Intermediates		
Drug Formulations & Biologicals	72,892.04	82,192
Herbal Products	1,536.65	1,618
Surgicals	1,946.15	1,950
<b>Total</b>	<b>1,00,313.83</b>	<b>1,09,769.74</b>
<i>Source : India Bulk Manufacturing Association of India</i>		

In the generics market, India exports 20% of global generics, making it the largest provider of generic medicines globally. Indian medical device market is expected to be of INR 53,300 Cr in 2020. India is one of the top 20 global medical device markets and the 4th largest medical device market in Asia.


After 100% FDI has been allowed through automatic route for Greenfield pharmaceutical projects, and 74% FDI has been allowed through automatic route for Brownfield pharma projects, the Pharmaceutical industry has become most attractive sector for investments and in gaining competitive edge in global market. The sector attracted FDI worth INR 77.631 crore between April 2000 and June 2017, which was 4% of total FDI inflows in India. Major foreign investors include Johnson and Johnson, P&G, NIPRO and Otsuka, amongst others.

India is one of the most cost effective manufacturers of drugs and pharmaceuticals in the world, owing to the abundance of natural resources and availability of cheap labour in the country. The country produces diverse range of products, and the healthcare market is rapidly expanding here.

Taking forward the Make in India vision of Government of India, State Government of Uttar Pradesh has launched its Industrial Investment and Employment Policy (IIEP) 2017, which is expected to expedite industrialisation in the State and boost investments. The State is committed towards strengthening its foothold in Drugs and Pharmaceutical sector so as to create a promising ecosystem to maximum the inherent potential of the state in this sector and generate mass employment opportunities.

## 2. Advantage Uttar Pradesh

Uttar Pradesh is India's 3<sup>rd</sup> largest economy and largest consumer market with population size of over 200 million. With the highest population among all Indian states, Uttar Pradesh offers to be the biggest market for pharmaceuticals. With increase in the middle class population most of the people can afford quality healthcare, thereby creating higher demand for pharmaceutical sector. The State has a 3-tier public healthcare infrastructure, comprising community health centres (CHCs), primary health centres (PHCs) & sub-centres.



UP is amongst the top five manufacturing states of India and has the second highest number of Micro, Small and Medium Enterprises in India. The exports from the state recorded 13.26% CAGR in last five years (2012-17). It has favourable factors of production to facilitate development of pharma sector including availability of raw material and manpower.

## 2.1. Enabling Ecosystem

### 2.1.1. Raw Material base and growing Industry

The State has second highest number of MSME's in the country and has a considerable chemical and medicinal raw material base. There are around 450 pharmaceutical units in the State, of which majorities are into formulation, mostly located in districts of Ghaziabad, GB Nagar, Lucknow, Kanpur.

<b>Exports of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh</b> (INR Crore)	
2015-16	363.42
2016-17	519.23
<i>Source: Department of Export Promotion, Govt of Uttar Pradesh</i>	

### Export of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh

Uttar Pradesh has nearly 17% market share of national sale in terms of value, with a turnover of about INR 90,000 crore in pharma sector (2014-15). There are about 76000 pharmacists and 71,000 retail pharmacies in U.P. The industrial panorama in the state is encouraging and reflects potential for considerable growth in the pharma sector.

### 2.1.2. Availability of Manpower and Strong R&D base

The State has perennial supply of manpower and prestigious research institutes and Department of Pharmaceutics in various educational institutes. The Abdul Kalam Technical University of Uttar Pradesh has 100 colleges providing B.Pharm degree and 64 colleges providing M.Pharm degree. Uttar Pradesh has prestigious research institutes like-

- CSIR-Central Drug Research Institute, Lucknow
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raibareli
- Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow
- Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow
- Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad.
- National Institute of Biologicals (NIB), Noida.
- Biological Sciences and Bioengineering Department, IIT- Kanpur
- Biotechnology Department, MNNIT-Allahabad

- Department of Pharmaceutics, Indian Institute of Technology – Banaras Hindu University (IIT BHU)

### **2.1.3. Connectivity Advantage**

As Indian pharmaceutical industry is the export oriented, Uttar Pradesh has suitable export facilitating infrastructure.

#### **Location Advantage**

- Located on Golden Quadrilateral.
- Excellent road network
- Access to National Capital Region on the west
- Strategic access to market & resource depth of eastern India
- Largest railway network in the country spanning over 8,949 km

#### **Connectivity**


- Major national & international airports connecting the rest of India, Middle East & South East Asian countries.
- Two upcoming international airports at Jewar & Kushinagar
- Proposed NW-1 connecting Allahabad to Haldia port

#### **Industrial Corridors**

- 8.5% of DMIC catchment area and 57% of AKIC in UP
- Intersection of WDFC and EDFC at Greater Noida
- Multi-modal logistic hubs, industrial parks etc. to benefit from reduced travel time to ports

#### **Logistics Infrastructure**

- Existing logistics infrastructure Moradabad rail linked combined domestic and EXIM terminal, Rail linked Pvt Freight Terminal and Inland Container Depot in Kanpur, ICD at Dadri Terminal and Kanpur ICD.
- Three multi modal logistics/ transport hubs are proposed at Noida, Boraki and Varanasi.



## 2.2. Opportunities in Uttar Pradesh

- **Manufacturing Bulk Drugs and Formulations including Generic Medicines**
- **Research and Development**
  - Drug Testing Technology
  - Contract Research and Manufacturing Services (CRAMS)
  - Biologics and Biosimilars
  - AYUSH and Phytomedicine
- **Distribution** – Uttar Pradesh is the 4<sup>th</sup> largest state with population density of 829 people per sq.km. There is immense scope for development of a drug mechanism for distribution of all kinds of drugs.
- **Manufacturing Medical Devices** - With new hospitals and nursing houses coming up and renovation of existing facilities, manufacturing medical devices in Uttar Pradesh is a promising opportunity.

## 3. About Policy

The State is emerging as a top industrial destination with investment friendly reformative policy approach. This policy takes ahead the vision and objectives of State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 and provides attractive incentives to develop supporting ecosystem for a competitive Pharma industry in Uttar Pradesh.


The policy aims at building up competencies of research, development and commercialization in pharmaceutical sector, capable of harnessing the true potential of the sector in a sustainable way by utilizing the knowledge and manpower from premier institutions to provide quality and affordable healthcare services.

### 3.1. Objectives

- To promote establishment of specialized Pharmaceutical Parks with best-in-class infrastructure and technology.
- To encourage cutting-edge pharmaceutical research, build world-class infrastructure and attract world's best talent to contribute to the State's development.
- To promote creation of Intellectual Property (IP) in the pharmaceutical sector by facilitating R&D institutions and contributing more funds to R&D in the pharmaceutical sector
- To promote AYUSH healthcare through promotion of R&D and manufacturing of AYUSH healthcare products

### 3.2. Period of the policy

- This policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for the period of 5 years.
- If at any stage a situation arises which necessitates any amendment or supersession of the policy, only the cabinet will be authorised to approve such amendments/supersession.



- In case of any amendment in this policy, if any package of incentives is already committed by the state government to any unit, will not be withdrawn and the unit will continue to remain entitled to the benefits.

### 3.3. Definitions

1. **MSME Units** - Projects with capital investment as approved under Govt of India's MSMED Act 2006.
2. **Large Units** - Projects with capital investment over that of MSME units but less than INR 100 crore.
3. **Mega Units** – Projects with capital investment of or more than INR 100 crore.
4. **Horizontal Pharma Park** – Private parks developed over minimum 10 acres, with at least 5 units, and 60% of which is allotted to entrepreneurs.
5. **Vertical Pharma Park** – Private parks developed like a tower or group of towers on minimum area 3 acres of land, with at least 3 units, and 60% of which is allotted to entrepreneurs.

## 4. Policy Framework

### 4.1. Developing Infrastructure

**4.1.1. Focus on Pharma Park** – State of Uttar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for establishment and growth of pharma industry in UP. The policy intends to identify land parcels and develop Parks, for manufacturing allopathic, ayush and homeopathic products and for Medical devices and equipments.

These parks will be equipped with ready-to-use infrastructural facilities such as common testing laboratories, diagnostic centres, power station, cold storages, common facility centres, effluent treatment plants and other basic amenities built on 'walk to work' concept. The State will encourage the developers to build quality testing facilities meeting requirement of API/Formulation Lab and standards of Quality Council of India (QCI). The policy promotes setting up labs duly certified by QCI in the state.

**4.1.2. Focus on Mega Projects and SMEs**—Through this policy, the state puts high impetus on creating manufacturing giants to compete global standards in international market. These mega projects create wide opportunities for ancillaries, downstream and SME units. Therefore, the policy provides to attract Mega projects through special incentives and concessions, while also, the policy support the SMEs to grab the opportunities in the booming sector. Special packages of incentives and concessions have been designed for SMEs units in the sector under this policy.

### 4.1.3. Supporting Infrastructure –

- A. **API/Formulation Lab** – Quality assurance of API & Formulation is back bone of Pharmaceutical Industry. Such a lab would resolve the



challenges such as excessive logistics and infrastructure investment. Government will facilitate to setup Common Testing Laboratory with consultation of Quality Council of India and other stakeholders. This facility will enhance the presence of research and development activity in the value chain.

- B. **Cold Storage facilities** - Government will encourage industries in creating a distribution temperature controlled warehouse for temperature sensitive pharmaceuticals. Development of common cold storage facilities will be incentivised under this policy.

#### **4.2. Promoting AYUSH and Phytomedicine**

In order to promote indigenous medicine, Units manufacturing AYUSH healthcare products will be given preference in land allotment. In order to safeguard the traditional knowledge special marketing incentives and for patent filing and certification will be provided to units manufacturing Ayush healthcare products. Similarly, the State will promote Phytopharmaceutical Drugs to encourage alternative medicine and will provide incentives to research and production units to develop market for these products.

#### **4.3. Research & Development –**

**4.3.1.** The strength of pharmaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the sector over time. Innovation is must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also home to world's reputed research centres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bio-tech and pharma sector.

The State aims at providing financial support to the research proposals for R&D and innovation in bio-tech and pharma sector, through the existing education institutes and pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. The policy aims at building a strong industry interface in this context. Research projects, clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and Institutions will be patronised. Also, the policy will assist in acquiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights.

#### **4.4. Promoting Innovations and Startup**

State will encourage innovations through new ventures in Pharmaceutical sector. In order to promote Startups in pharmaceutical sector, the state will use Uttar Pradesh Start-up Fund set up under Uttar Pradesh Information Technology and Starup Policy, 2017. Incubators at educational institutions, medical colleges and universities would be set up. The policy provides provisions to help Startups in pharma sector to scale up their business models.





## 4.5. Ecosystem Support

- 4.5.1. Conducive Business Environment** –Govt. of Uttar Pradesh will make sincere efforts to meet requirements of entrepreneurs in the sector. The policy not only incentivises setting up business in Pharma sector but also ensures a conducive business environment to attract investors as mentioned under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017.
- 4.5.2. Simplified Procedures** – The sector is knowledge based and in order to attract and smoothen processes in development of the industry in state, the policy ensures single window clearances to Pharmaceutical Industry. The policy also looks forward to ensure high quality standards and modern testing facilities.
- 4.5.3. Eco friendly approach** – Since pharma industry produces waste and effluent, this policy aims at promoting the pharma sector in Uttar Pradesh with an eco-friendly approach. Special incentives will be given for effluent treatment and environment protection.

## 5. Private Pharmaceutical Parks


Govt. of Uttar Pradesh will facilitate setting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosystem support for the sector. Focus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautambuddha Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi and Allahabad. These parks will provide 'plug-and-play' industrial infrastructure allowing companies to focus on their core business, and therefore will comprise –

- Manufacturing area,
- Testing area,
- Cold storages and warehousing,
- Common facility centres, hostel areas
- Other facilities such as standalone power station, sewage treatment plant, etc.

The developers of defined **Horizontal Pharma Park and Vertical Pharma Park** shall be eligible for incentives under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy (UPIIEPP) 2017–

- 5.1.** Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 50% of annual interest on the loan taken to buy land for 7 years subject to a maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per Pharma park.
- 5.2.** Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building infrastructure such as roads, power feeder, drainage in the pharma park subject to INR 10 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 50 crore per Pharma park in the said period.

---




- 5.3. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building common facilities – warehouse & cold chain facilities, Hostel/Dormitory Housing for workers in the industrial parks/estates subject INR 5 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 30 crore per Pharma park in the said period.
- 5.4. 100% exemption on stamp duty on the purchase of land by the developer and 50% exemption on stamp duty to individual buyers of first instance will be provided on purchase of plot in the Pharma parks.

## 6. Incentives to units

In order to encourage industrial investment in the pharmaceutical sector, the State government will provide concessions, subsidies and financial assistance to promote industrial development in pharmaceutical sector.

For this purpose following incentives as under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 will be extended to eligible new pharmaceutical units -

- 6.1. **Capital interest subsidy** to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant & machinery, subject to maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per unit.
- 6.2. **Infrastructure Interest Subsidy**– Units setup in Pharma sector in the state, will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of interest at the rate of 5% payable on loan taken by them for developing infrastructural amenities for self-use like sewage and water drainage, erection of power line, transformer and power feeder, subject to maximum subsidy of INR 1 crore.
- 6.3. **Industry Research Subsidy** - Interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on procurement of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, subject to an overall ceiling of INR 1 Crore.
- 6.4. **Electricity duty exemption**– 100% exemption for 10 years to all new units. 100% exemption from electricity duty for 10 years to all new units producing electricity from captive power plants for self-use.
- 6.5. **Stamp Duty Incentive** – 100% Stamp duty exemption to all new units across the state.
- 6.6. **SGST reimbursement**– 90% reimbursement for MSME units in Pharma sector for 5 years, 60% reimbursement to eligible Large Pharma Units for 5 years, and 70% reimbursement to Mega Pharma units for 10 years. This would be subject to annual ceiling of 20% of capital investment or actual tax deposited, whichever is lower, subject to maximum ceiling of 100% of fixed capital investment made by the unit.



**6.7. Mandi Fee exemption** – In consonance to UP IIEPP 2017, all new pharma units will be eligible for 100% mandi fee exemption on purchase of raw material for 5 years.

## **7. Environment Protection Subsidy**

**7.1. Setting up Common Purpose ETPs-** For adopting zero effluent /waste water discharge facilities at Pharma Parks (Common Effluent Treatment Plant, Incinerator, etc.), the developer will be eligible for additional environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up common ETP to the extent of 50% of annual interest for 5 years; ceiling INR 2 crore.

**7.2. Zero Waste Incentive** - New individual pharma units eligible under this policy, adopting water recycling/harvesting and zero discharge technology shall be eligible for environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up such infrastructure to the extent of 50% of annual interest for 5 years; ceiling INR 10 lacs.

Reimbursement under Environment Protection Subsidy shall be made on producing a certificate from State Pollution Control Board (SPCB), Uttar Pradesh to this effect.

## **8. R&D Support**

**8.1. Support R&D institutes** - New R&D institutes or facility set up for research & development in biotech and pharma sector, will be provided capital interest subsidy in form of reimbursement 60% of interest on loan taken to set up such facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INR 50 Lacs per project.

**8.2. Clinical Trials-** 75% reimbursement of the total expenditure incurred subject to maximum INR 1 crore per clinical trial to R&D institutes situated within Uttar Pradesh in a financial year over the policy period.


**8.3. Assistance for contract/sponsored research work** for biotech and pharmaceutical research projects from any industrial unit/industry association to recognized R&D institution/university/colleges in Uttar Pradesh approved by UGC/Government/AICTE will be considered subsidy of 50% of the eligible project cost, excluding cost of land and building, subject to a maximum of INR 50 Lacs per project in a financial year to institutes situated within Uttar Pradesh over the policy period.

## **9. Patent Filing and Quality Certification**

**9.1. Patent Filing fees** will be reimbursed up to 100% of actual filing costs on awarded patents subject to a maximum of INR 1 lac for domestic patents, and up to 50% of actual filing costs on awarded patents, subject to maximum of INR 5 Lacs for international patents. Units manufacturing AYUSH and Phytomedicine will be eligible for full reimbursement of actual patent filing costs on awarded patents over the policy period.

**9.2. Quality certification** – Reimbursement of 75% of cost incurred for ISO certification subject to maximum INR 75,000 per unit in a financial year, and 50% of cost incurred for BIS certification, subject to maximum INR

---



20,000 per unit in a financial year. Units manufacturing AYUSH products will be eligible for full reimbursement towards cost incurred for quality certification over the period of this policy.

## 10. Innovations & Start Up

**Pharmaceutical Incubators-** Government will set up Incubators in Government Pharmacy Colleges, Universities and will also set up Incubators in partnership with private sector. These incubators will be eligible to following incentives as per Uttar Pradesh Information Technology & Start-Up Policy 2017 -

**10.1. Capital Grants** for setting an incubator in form of reimbursement up to 75% in case of Govt hosts, and upto 50% in case of other hosts, subject to maximum INR 1 crore.

**10.2. Rebate on lease/Rental Space** – Reimbursement up to 25% of lease/rental charges on the space used by incubator for operations up to maximum INR 10 lacs per year, for a period of 5 years.

**10.3.** 100% exemption of Stamp duty on sale/lease/ transfer of land and office space for first transaction.

**10.4.** 100% reimbursement of electricity duty for a period of 5 years.

**10.5. Mentorship Assistance** of INR 2 lacs per mentor, covering expenses incurred on coaching, guiding, travelling, lodging etc., one time over Policy Period.

## 11. Marketing Support

**11.1. MSME units** – MSMEs in Pharma sector will be eligible for reimbursement of 50% of cost of participation in international exhibitions/fairs, excluding travel and accommodation cost with a maximum amount of INR 5 lacs per unit. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period.

**11.2. Market for AYUSH and Phytomedicine-** Units manufacturing AYUSH or Phytomedicine shall be reimbursed 75% of cost of participation in international exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 5 lacs per event in a year, and will be reimbursed 50% of cost of participation in domestic exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 2 lacs per event in a year. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period.

### NOTE-

- A. All incentives in the form of reimbursement, subsidies, exemptions etc., will be subject to a maximum of 100% of fixed capital investment made by MSME, Large units in Pharma sector.



- B. All incentives for eligible mega projects in the form of reimbursement, subsidies, exemptions etc., will be subject to a maximum of 200% of fixed capital investment made by Mega units in Pharma sector.

## **12. Ease of Doing Business**

Taking forward the vision and mission of State's Industrial Investment and Employment Promotion (IIEP) Policy, 2017, this policy also ensures ease of business and ensures conducive business environment in the state.

- 12.1. Single Window** – All required approvals to logistics units shall be provided under one roof through single window system of the state, directly monitored by the Chief Minister's office.
- 12.2. Time bound clearances** – Providing speedy and time bound clearances is one of the prime intentions of this policy. Towards this goal, timely delivery of services, clearances, approvals, permits, etc. will be guaranteed through act.

## **13. Policy Implementation**


Department of Infrastructure and Industrial Development will be nodal department for implementation and monitoring of this policy.

**13.1. Uttar Pradesh Pharmaceutical Development Cell** will be set up as advisory body for technical guidance and support. The Cell will be chaired by Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development, and consist of representatives from concerned departments and experts from different areas of Pharmaceutical and Biotechnology. The matter referred by the regulatory committees and others will be taken up by the Cell from time to time. UP Pharmaceutical Development Cell will operate with the following mandate:

- To promote, support and facilitate the overall development of Pharmaceutical and Biotechnology in the State.
- To facilitate the infrastructure development, research, innovation and human resource development.
- To facilitate regional, national and international networking for promotion of Pharmaceutical and biotechnology.
- To facilitate the development of data bank and resource centres.
- To facilitate creation of scientific awareness, socio-ethical acceptance, adoption and application of Pharmaceutical and biotechnology.

**13.2. Policy Implementation Unit (PIU)** will be set up under the Infrastructure and Industrial Development Commissioner. The PIU shall take decisions on matters pertaining to effective and successful implementation of UP Pharmaceutical Industry Policy 2018. The Unit shall be responsible for

---




providing recommendation in consonance with UP Pharmaceutical Development Cell and approval for incentives applicable to units defined under this policy, and shall provide timely grievance redressal. The Policy Implementation Unit will comprise of Nodal Officers from Department of Science and Technology, and Department of Food Safety and Drug Administration.

**13.3. Empowered Committee** under the chairmanship of Chief Secretary shall oversee the development of UP Pharmaceutical Industry Policy 2018 and monitor the implementation of the same. The Principal Secretaries/Secretaries of different departments will be its member. Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development will be the Coordinating Secretary of the Committee. Representatives of the Industry Associations will be invitee members.

Note – Pharma units availing incentives from any other policy or those sanctioned by the departments of the State government, will also be entitled to avail incentives/benefits mentioned in this policy provided the same kind of benefits/incentives are not being availed from any other policy.

\*\*\*\*\*

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Munari', is written over a horizontal line.